



भारतीय जीवन बीमा निगम

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत गठित)

आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या 512

केंद्रीय कार्यालय: 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021

दूरभाष संख्या: 022 - 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com; वेबसाइट: www.licindia.in

डाक मतपत्र सूचना

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के साथ पठित, जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान (लागू सीमा तक) के साथ उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में हैं)

प्रिय सदस्य (सदस्यों),

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 ("एलआईसी अधिनियम, 1956") की धारा 23ए के प्रावधानों के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 ("एलआईसी नियमों") के नियम 28 और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और इसके तहत बनाए गए नियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") के विनियमन 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक ("एसएस-2"), किसी भी वैधानिक संशोधन (नों), आशोधन (नों), स्पष्टीकरण (नो), प्रतिस्थापन (नो) या समय-समय पर लागू होने वाले पुनः अधिनियमन शामिल हैं, तथा भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए"), द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के अनुपालन में, सामान्य बैठकें आयोजित करने / इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से डाक मतपत्र प्रक्रिया का संचालन करने के लिए परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और सामान्य परिपत्र संख्या 3/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 को इस संबंध में जारी किए गए अन्य संबंधित परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") के साथ पठित है और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, निम्नलिखित विशेष व्यवसायों को भारतीय जीवन बीमा निगम ("एलआईसीआई" या "निगम") के सदस्यों द्वारा केवल रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान के माध्यम से डाक मतपत्र के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है।

विशेष व्यवसाय:

1. बोनस शेयर जारी करने पर

विचार करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करने के लिए :

"संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 5 के साथ पठित भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य विनियम, 2021, कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक) और उसके तहत बनाए गए नियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गमन जारी करने और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") के विनियमन 293, 294 और 295 तथा अन्य लागू प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम"), विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 ("फेमा") (समय-समय पर लागू किसी भी वैधानिक संशोधन (नो) या पुनः अधिनियमन (नो) शामिल है), सेबी और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएआई") द्वारा समय-समय पर जारी अन्य लागू नियम, विनियम और दिशानिर्देश एवं ऐसी अनुमोदनों, सहमति, अनुमतियों, शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जो उचित प्रशासन (भारत सरकार सहित) से आवश्यक हैं, निगम के सदस्यों के अनुमोदन से ₹6324,99,77,010/- (रुपये छह हजार तीन सौ चौबीस करोड़ निन्यानवे लाख सतहतर हजार और दस मात्र) आरक्षित और अधिशेष निधि से 1:1 के अनुपात में ₹10 (केवल दस रुपये) प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त बोनस इक्विटी शेयरों के निर्गम और आवंटन के प्रयोजन के लिए, पूंजीकृत किया जाता है, निगम के उन पात्र सदस्यों के लिए जिनके नाम इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित "रिकॉर्ड तिथि" पर सदस्यों के रजिस्टर या लाभकारी स्वामित्व विवरण में उपलब्ध हैं, अर्थात्, रिकॉर्ड तिथि पर निगम के सदस्यों द्वारा रखे गए प्रत्येक 1 (एक) मौजूदा पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) बोनस इक्विटी शेयर और इस प्रकार के जारी और आवंटित किए गए नए बोनस इक्विटी शेयरों को सभी उद्देश्यों के लिए निगम की प्रदत्त पूंजी में वृद्धि माना जाएगा।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस प्रकार के आवंटित बोनस शेयर रिकॉर्ड तिथि पर निगम के पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयरों के साथ सभी मामलों में समान स्तर पर होंगे और यह जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के साथ पठित बनाए गए नियमों और विनियमों में निहित निबंधन एवं शर्तों के अधीन होंगे।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसरण में, बोनस निर्गमन के तहत आवंटित किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में आवंटित किए जाएंगे और उन्हें उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागीयों) के साथ बनाए गए सदस्यों के संबंधित लाभार्थी डीमैट खातों में जमा किया जाएगा और रिकॉर्ड तिथि पर भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों के संबंध में, निगम बोनस इक्विटी शेयरों को एक नए सर्पेंस एस्करो डीमैट खाते में तब तक जमा रखेगा जब तक कि आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर उन्हें संबंधित सदस्यों के लाभार्थी डीमैट खातों में जमा नहीं किया जाता है।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि अनिवासी सदस्यों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई)/विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और अन्य विदेशी निवेशकों को बोनस इक्विटी शेयरों का निर्गम और आवंटन, फेमा या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के (आरबीआई) अनुमोदन, यदि कोई हो, के अधीन होगा।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निगम के निदेशक मण्डल (किसी भी समिति सहित), स्टॉक एक्सचेंजों पर बोनस इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत है जहां निगम के इक्विटी शेयर वर्तमान में सेबी सूचीबद्धता विनियमों और अन्य लागू विनियमों, नियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्ध हैं।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद 'बोर्ड' कहा जाएगा, जिसमें समय-समय पर बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त की गई कोई भी अधिकृत समिति शामिल मानी जाएगी, जिसे इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है), मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्यकारी निदेशक (बोर्ड एवं सचिवीय) और निगम के कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी को निगम की ओर से संयुक्त रूप से या अलग-अलग रूप से अधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी दस्तावेजों, विलेखों और लेखों पर हस्ताक्षर करें और उन्हें निष्पादित करें तथा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करें, जो आवश्यक, उपयुक्त और प्रासंगिक समझी जाएं, और उक्त मामलों से संबंधित सभी प्रश्नों, शंकाओं या कठिनाइयों का निपटारा करने का अधिकार भी उन्हें दिया जाता है, जिसमें आईआरडीएआई, स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ किसी भी अनुबंध या अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की शर्तों पर बातचीत करना, अंतिम रूप देना, संशोधन करना, हस्ताक्षर करना, वितरित करना और निष्पादित करना शामिल है, लेकिन इन्हें तक सीमित नहीं है एवं लागू नियमों और विनियमों का विधिवत अनुपालन करते हुए, संबंधित प्राधिकारियों को उपरोक्त बोनस इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में और उससे संबंधित सभी मामलों को पूरा करने/निष्पादित करने के लिए, और इस संकल्प को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए, निष्पादन और फाइलिंग सहित, निगम के सदस्यों की किसी भी प्रकार की आगे की सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना, इस संकल्प को पूर्णतः लागू किया जा सकता है।”

2. निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री महालिंगम जी (गुरुमूर्ति महालिंगम) (डीआईएन: 09660723) की पुनः नियुक्ति पर

विचार करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने के लिए:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (जी), 4 ए और 4 बी के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के विनियमन 16 (1) (बी), विनियमन 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसरण में, (तत्समय लागू किसी भी सांविधिक संशोधन (नो) या पुनः अधिनियमन (नो) सहित) और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, श्री महालिंगम जी (डीआईएन: 09660723) की पुनर्नियुक्ति, जिन्हें 27 सितंबर, 2022 को आयोजित निगम की पहली वार्षिक सामान्य बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 28 जनवरी, 2026 तक नियुक्त किया गया था और उन्होंने यह पुष्टि करते हुए एक घोषणा प्रस्तुत की है कि वह जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4(3) और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 16(1) (बी) में प्रदान की गई स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं, और जो निगम के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में, 29 जनवरी, 2026 से शुरू होकर 28 जुलाई, 2026 तक छह (6) माह के एक और कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं, तदनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया जाए।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी सूचीबद्धता विनियमों, निगम की निदेशक योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता नीति (निदेशक नीति) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्री महालिंगम जी., नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर अनुमोदित, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्राप्त किए जाने वाले पारिश्रमिक/शुल्क/कमीशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की किसी भी समिति सहित) को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी आवश्यक, उपयुक्त और वांछनीय कार्य करने और सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

3. निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. वी.एस. पार्थसारथी (डीआईएन: 00125299) की पुनः नियुक्ति पर

विचार करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने के लिए:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (जी), 4 ए और 4 बी के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 5 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के विनियमन 16 (1) (बी), विनियमन 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसरण में, (तत्समय लागू किसी भी

सांविधिक संशोधन (नो) या पुनः अधिनियमन (नो) सहित) और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, डॉ. वी.एस. पार्थसारथी (डीआईएन: 00125299) की पुनर्नियुक्ति, जिन्हें 27 सितंबर, 2022 को आयोजित निगम की पहली वार्षिक सामान्य बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 28 जनवरी, 2026 तक नियुक्त किया गया था और उन्होंने यह पुष्टि करते हुए एक घोषणा प्रस्तुत की है कि वह जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4(3) और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 16(1) (बी) में प्रदान की गई स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं, और जो निगम के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में, 29 जनवरी, 2026 से शुरू होकर 28 जुलाई, 2026 तक छह (6) माह के एक और कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं, तदनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया जाए।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी सूचीबद्धता विनियमों, निगम की निदेशक योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता नीति (निदेशक नीति) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, डॉ. वी.एस. पार्थसारथी, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर अनुमोदित, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्राप्त किए जाने वाले पारिश्रमिक/शुल्क/कमीशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की किसी भी समिति सहित) को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सभी आवश्यक, उपयुक्त और वांछनीय कार्य करने और सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

4. निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में सुश्री शालिनी पंडित (डीआईएन: 07780142) की नियुक्ति पर

विचार करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए :

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4(2)(डी) के अनुसार, सुश्री शालिनी पंडित को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 03 दिसंबर, 2025 के तहत, निगम के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, नियुक्त किया गया है तदनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया जाए।”

5. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री रामकृष्णन चंद्र (डीआईएन: 11331783) की नियुक्ति पर

विचार करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए :

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4(2)(सी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 और 4 के अनुसरण में श्री रामकृष्णन चंद्र की नियुक्ति, भारत सरकार की 01 दिसंबर, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में, ₹ 2,05,400/- से ₹ 2,24,400/- के वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने से (01 दिसंबर, 2025) और उनकी सेवानिवृत्ति प्राप्त करने की तारीख (यानी, 30 सितंबर, 2027) तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गयी है तदनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया जाए।”

बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते भारतीय जीवन बीमा निगम

हस्ताक्षर/-

अंशुल कुमार सिंह

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: अप्रैल 13, 2026

स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

‘योगक्षेम’, जीवन बीमा मार्ग,

नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

दूरभाष नंबर: 022 - 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com

वेबसाइट: www.licindia.in

टिप्पणियाँ:

1. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के साथ पठित एलआईसी नियम के नियम 28, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (“एसएस-2”) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (“सेबी सूचीबद्धता विनियम”) के विनियमन 36 के अनुसरण में, प्रस्तावित प्रस्तावों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण, इस सूचना के साथ संलग्न है और इसका हिस्सा है। निगम को नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशक(कों) से प्रासंगिक प्रकटीकरण/सहमति प्राप्त हो चुके हैं।
2. एलआईसी अधिनियम, 1956 के साथ पठित, एलआईसी नियमों के नियम 28, कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक), उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, लागू एमसीए परिपत्रों, सेबी सूचीबद्धता विनियमों और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार, निगम इस डाक मतदान के लिए सदस्यों को डाक मतदान प्रपत्र और पूर्वभुगतानित व्यावसायिक उत्तर लिफाफे के साथ सूचना की हार्ड कॉपी भेजने के बजाय, केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाक मतपत्र सूचना भेज रहा है। तदनुसार, सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार केवल दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से होगा।
3. एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक) और एमसीए परिपत्रों के तहत प्रदान किए गए ढांचे के अनुसार, डाक मतपत्र की सूचना उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी जा रही है, जिनके नाम डिपॉजिटरी संस्थाओं, अर्थात् नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (“एनएसडीएल”) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (“सीडीएसएल”) द्वारा बनाए गए सदस्य रजिस्टर/लाभार्थी मालिक रजिस्टर में **बुधवार, 15 अप्रैल, 2026 (“कट-ऑफ तिथि”)** तक दर्ज हैं और जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे शेयर के संबंध में संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी (“डिपी”) के साथ और भौतिक रूप में रखे शेयर के संबंध में निगम के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (“आरटीए”) के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत किए हैं।

कट-ऑफ तिथि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए है। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्यों के लिए मानना चाहिए।

4. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों को बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रति (पीडीएफ प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है, जिसमें उनके प्रतिनिधि को डाक मतपत्र सूचना में प्रस्तावित प्रस्तावों पर उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। उक्त संकल्प/प्राधिकार पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से संवीक्षक को sanco@sanco.net ईमेल पते पर भेजा जाएगा जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.com को अंकित की जाएगी। संस्थागत/कॉर्पोरेट सदस्य (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) भी अपने लॉगिन में “ई-वोटिंग” टैब के अंतर्गत प्रदर्शित “बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र अपलोड करें” पर क्लिक करके अपना बोर्ड संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी प्राधिकरण पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं।
5. संयुक्त धारकों के मामले में, एक सदस्य जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार उनके नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में आता है, वह वोट (मत) डालने का हकदार होगा।
6. डाक मतपत्र सूचना निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर प्रसारित कर दी गई है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों, यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों के संबंधित अनुभाग क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है। यह सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
7. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 ए और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के अनुसरण में, निगम को अपने सदस्यों को वोट डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा प्रदान करने की प्रसन्नता हो रही है यानि “रिमोट ई-वोटिंग”। इस उद्देश्य के लिए, निगम ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है।
8. डाक मतपत्र की यह सूचना उन सदस्यों को नहीं दी जा सकती जिनके ई-मेल पते निगम/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, हालांकि, सदस्य ई-वोटिंग के लिए पात्र होने के लिए evoting@nsdl.com को एक ईमेल अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ सूचना की सॉफ्ट कॉपी और ई-वोटिंग निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।
9. मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड को. कंपनी सेक्रेटरीज के श्री एस. एन. विश्वनाथन (सदस्यता संख्या: एफसीएस 13685) और उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती अपर्णा गाडगिल (सदस्यता संख्या: एसीएस 14713) को बोर्ड द्वारा डाक मतपत्र प्रक्रिया और ई-मतदान की निष्पक्ष

और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है। संवीक्षक ई-मतदान की जांच पूरी होने पर, लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के भीतर, बोर्ड के अध्यक्ष या बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा/करेगी। घोषित परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ, उन स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा जिन पर निगम के शेयर सूचीबद्ध हैं, साथ ही एनएसडीएल को भी सूचित किया जाएगा और निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ई-वोटिंग शनिवार, 18 अप्रैल, 2026 (सुबह 9:00 बजे भारतीय समय अनुसार) से शुरू होगी और रविवार, 17 मई, 2026 (शाम 5:00 बजे भारतीय समय अनुसार) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि तक भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके तुरंत बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग सुविधा बंद कर दी जाएगी और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। एक बार किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 15 अप्रैल, 2026 तक निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।
11. इस डाक मतपत्र सूचना में उल्लिखित सभी दस्तावेज ई-मतदान की अंतिम तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य investors@licindia.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।
12. उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस डाक मतपत्र सूचना में उल्लेखित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए:
 - (i) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) investors@licindia.com पर भेजें।
 - (ii) यदि शेयर डीमैट रूप में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति) einward.ris@kfintech.com पर भेजें।
 - (iii) वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

13. ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके का विवरण:

सेबी मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/0155 दिनांक 11 नवंबर, 2024 के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित, 'सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा' के संबंध में, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइटों के माध्यम से एक ही लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डीमैट खाताधारक ई-वोटिंग सेवा प्रदाता ("ईएसपी") के साथ दोबारा पंजीकरण किए बिना अपना वोट डाल सकेंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण सुनिश्चित होगा बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना भी आसान और सुविधाजनक हो जाएगा।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के तरीके में दो चरण शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:





चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच

क. डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 09 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता अपडेट करें।

डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

सदस्यों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य।	<ol style="list-style-type: none"> ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल पते/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट अर्थात् https://eservices.nsdl.com पर मौजूदा आईडीईएस (IDeAS) उपयोगकर्ता अपने पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल के माध्यम से जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर लॉगिन के तहत लाभकारी स्वामी ("Beneficial Owner") आइकन पर क्लिक करें जो 'आईडीईएस' अनुभाग में उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "ई-वोटिंग तक पहुंच" ("Access to e-voting") पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल की ई वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यदि आप आईडीईएस (IDeAS) ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है https://eservices.nsdl.com/ आईडीईएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" को चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्न URL:https://www.evoting.nsdl.com/ को व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र पर टाइप करके खोलें। ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/'

सदस्यों का प्रकार	लॉगिन विधि
	<p>सदस्य' अनुभाग के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जिसमें आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर क्लिक करें या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत डालने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>5. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके "एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।</p> <p style="text-align: center;">NSDL Mobile App is available on</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px; margin-top: 10px;">   </div>
<p>सीडीएसएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य</p>	<ol style="list-style-type: none"> जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल के ईजी (Easi)/ईजीस्ट (Easiest) का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा उपयोगकर्ताओं आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ ईजीस्ट लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट https://www.cdslindia.com/ पर जाएं और लॉगिन आइकन एवं न्यू सिस्टम माईईजी टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा माईईजी उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें। सफल लॉगिन के बाद ईजी / ईजीस्ट के उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे, जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग प्रगति पर है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पेज को देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।

सदस्यों का प्रकार	लॉगिन विधि
	<p>3. यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट https://www.cdslindia.com/ पर उपलब्ध है और लाओगिन एवं न्यू सिस्टम माईईजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।</p> <p>4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता https://www.cdslindia.com/ होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से अपने डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। प्रणाली पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज किया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में सक्षम होंगे।</p>
व्यक्तिगत सदस्य (डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारित) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने डीमैट अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दों के लिए डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर या 022-4886 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-21-09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख. डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों और भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि।

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न URL लिखकर वेब ब्राउज़र खोलें: <https://www.evoting.nsdl.com/>
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होमपेज लॉन्च हो जाने के बाद, लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के तहत उपलब्ध हैं।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज यानी आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप मौजूदा आईडीईएस (IDeAS) लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> लॉगिन कर सकते हैं। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉग-इन करने पर, ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर जा सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत डाल सकेगे।
4. आपका उपयोगकर्ता आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयरों को रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) रूप या भौतिक रूप	आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
क. उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 कैरक्टर डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी DP ID IN300*** है और क्लाइंट ID 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता ID IN300***12***** है।
ख. उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12***** है।
ग. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद EVEN नंबर उदाहरण के लिए, यदि फोलियो नंबर 001 *** है और EVEN 139122 है तो यूजर आईडी 139122001*** है

5. व्यक्तिगत सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:
 - I. यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना मत डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
 - II. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' (Intial Password) प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और प्रणाली आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।
 - III. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?
 1. अगर आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकरण है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। ईमेल खोलें, आपके मेल-बॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं, और अटैचमेंट, यानी एक .pdf फाइल खोलें। .pdf फाइल खोलने का पासवर्ड NSDL अकाउंट के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, CDSL अकाउंट के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या फिजिकल फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' (Intital password) होता है।
 2. यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

6. यदि आप पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
 - क. “उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?” (“**Forgot User Details/Passwprd**”) पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं) जिसका विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
 - ख. **भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?** (“**Physical user reset password**”) (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं) जिसका विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
 - ग. यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपना पंजीकरण पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।
 - घ. सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके “नियम और शर्तों” से सहमत पर टिक करें।
8. अब, आपको “लॉगिन” बटन पर क्लिक करना होगा।
9. “लॉगिन” बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर अपना मत डालें।

- क. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आप शेयर धारण कर रखे हैं और जिनके मतदान चक्र और सामान्य बैठक सक्रिय स्थिति में है।
- ख. उस कंपनी के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत डालना चाहते हैं। निगम का EVEN -139122 है।
- ग. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
- घ. उपयुक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट डालें अर्थात् सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और “सबमिट” (“Submit”) पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर पुष्टि करें (“Confirm”) पर भी क्लिक करें।
- ङ. पुष्टि होने पर, “वोट सफलतापूर्वक डाला गया” (“Vote Cast Sucessfully”) संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
- च. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
- छ. एक बार जब आप प्रस्तावों पर अपने वोट की पुष्टि कर लेते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- (i) यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए? या “भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड” विकल्प का प्रयोग करना होगा।
- (ii) किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों/सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का उल्लेख कर सकते हैं जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं या 022 - 48867000 पर कॉल कर सकते हैं या एनएसडीएल के उप प्रबंधक श्री संजीव यादव को निर्दिष्ट ई-मेल आईडी: evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 1

भारतीय जीवन बीमा निगम (“निगम” या “एलआईसीआई”) की स्थापना 01 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से (“विक्रेता शेयरधारक”) निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (“आईपीओ”) वर्ष 2022 में जारी किया और 17 मई, 2022 को निगम के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर सूचीबद्ध हुए।

निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड) ने 13 अप्रैल, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 1:1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दी है, अर्थात्, रिकॉर्ड तिथि पर सदस्यों के पास मौजूद प्रत्येक ₹10/- (केवल 10 रुपये) के अंकित मूल्य वाले 1(एक) मौजूदा पूर्णतः भुगतान किए गए इक्विटी शेयर के बदले प्रत्येक ₹10/- (केवल 10 रुपये) के अंकित मूल्य वाले 1(एक) नए बोनस इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके लिए निगम के 31 दिसंबर, 2025 तक उपलब्ध आरक्षित और अधिशेष में से अधिकतम ₹6324,99,77,010 (छह हजार तीन सौ चौबीस करोड़ निन्यानवे लाख सतहत्तर हजार और दस रुपये मात्र) राशि का पूंजीकरण किया जाएगा, जो निगम के सदस्यों की स्वीकृति के अधीन है।

बोनस इक्विटी शेयरों के मुद्दे पर विचार करते समय, बोर्ड की राय है कि 1:1 के अनुपात में बोनस शेयरों को जारी करने का प्रस्ताव निगम के मामलों में सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए पुरस्कृत करने का उचित तरीका होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि बोनस इश्यू से प्रदत्त पूंजी और निगम के संचित भंडार के बीच संतुलन लाने में भी मदद मिल सकती है और निवेशकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए शेयर को अधिक किफायती और आकर्षक बनाकर तरलता, विपणन क्षमता भी बढ़ सकती है।

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 5 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) के अधीन रहते हुए, तथा लागू वैधानिक एवं नियामक अनुमोदनों (यदि कोई हो) के अनुसार, निगम समय-समय पर केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा निगम के सदस्यों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, मौजूदा सदस्यों को बोनस इक्विटी शेयर जारी करके अपनी जारी शेयर पूंजी में वृद्धि कर सकता है। जीवन बीमा निगम सामान्य विनियम, 2021 (“एलआईसी विनियम”) का विनियमन 7, अन्य बातों के अलावा, निगम के मुक्त आरक्षित निधि या शेयर प्रीमियम खातों में वर्तमान में जमा राशि के किसी भी भाग के पूंजीकरण की अनुमति देता है तथा परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से सृजित आरक्षित निधि का पूंजीकरण करके बोनस शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। निगम एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अनुसार बोनस शेयर जारी करने के लिए शेयरधारक आरक्षित निधि का उपयोग कर रहा है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने दिनांक 24 मार्च 2026 के पत्र के माध्यम से निगम के वर्तमान सदस्यों को एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 5 के तहत बोनस शेयर जारी करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। अब डाक मतपत्र सूचना में उल्लेखित विशेष प्रस्ताव के माध्यम से निगम के सदस्यों की स्वीकृति मांगी जा रही है।

तदनुसार, इश्यू के बाद निगम की पूंजी का अनुमान नीचे दिया गया है:

विवरण	वर्तमान	अनुपात 1:1 (आयोजित प्रत्येक एक शेयर के लिए एक बोनस शेयर)	
		बोनस इश्यू	बोनस इश्यू के बाद
अधिकृत पूंजी (शेयर)	2500,00,00,000	--	--
अधिकृत पूंजी (₹)	25000,00,00,000	--	--
निर्गत, अभिदत्त और चुकता पूंजी (शेयर)	632,49,97,701	632,49,97,701	1264,99,95,402
निर्गत, अभिदत्त और चुकता पूंजी (₹)	6324,99,77,010	6324,99,77,010	12649,99,54,020

सेबी (पूंजी का निर्गमन करने और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 (सेबी आईसीडीआर विनियम) के अनुसार, बोनस निर्गमन के तहत आवंटित किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में आवंटित किए जाएंगे। भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों के मामले में, बोनस इक्विटी शेयरों को एक अलग सस्पेंस एस्करो डीमैट खाते में तब तक जमा रखा जाएगा जब तक कि इन शेयरों को निगम द्वारा ऐसे सदस्यों के लाभार्थी खातों में उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के साथ डीमैटरियलाइज्ड रूप में जमा नहीं किया जाता है, जो एलआईसी अधिनियम, 1956 के साथ पठित इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, सेबी सूचीबद्धता विनियम, सेबी आईसीडीआर विनियम या कोई अन्य

लागू कानून, विनियम, नियम और दिशानिर्देश जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या इस संबंध में किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हो। सर्पेंस एस्करो डीमैट खाते में रखे गए ऐसे बोनस इक्विटी शेयरों के मतदान अधिकार जमे (फ्रीज़) रहेंगे।

सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 295 के प्रावधान के अनुसार, बोनस इश्यू को निगम द्वारा बोर्ड की बैठक की तारीख यानि 13 अप्रैल, 2026 से दो महीने के भीतर लागू किया जाएगा, जिस बैठक में बोनस इश्यू की घोषणा करने का निर्णय सदस्यों की मंजूरी के अधीन लिया गया था।

निगम के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, वित्तीय या अन्य रूप से, इस डाक मतपत्र सूचना में उल्लिखित प्रस्ताव से संबंधित या हितधारक नहीं हैं, सिवाय इसके कि उन्हें निगम में अभिलेख तिथि पर उनकी शेयरधारिता (यदि कोई हो) के परिणामस्वरूप बोनस शेयर जारी किए जाएं और आवंटित किए जाएं।

तदनुसार, बोर्ड निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए सलग सूचना के मद संख्या 1 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

मद संख्या 2

श्री महालिंगम जी (गुरुमूर्ति महालिंगम) (डीआईएन: 09660723) को 27 सितंबर, 2022 को आयोजित निगम की पहली वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो जनवरी 29, 2022 से जनवरी 28, 2026 तक लगातार चार (4) वर्षों की अवधि के लिए (दोनों दिन शामिल) था और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 के साथ पठित एलआईसी नियमों के नियम 5 के अनुसार वह निगम के निदेशक मंडल में चार (4) वर्षों तक की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ('एनआरसी') ने श्री महालिंगम के प्रदर्शन मूल्यांकन के विभिन्न मापदंडों पर विचार करने और उनके ज्ञान, बुद्धिमत्ता, अनुभव, विशेषज्ञता और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान तथा समय प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड में छह (6) महीने के एक और कार्यकाल के लिए उनकी पुनः नियुक्ति की सिफारिश की है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर बोर्ड ने 28 जनवरी, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में श्री महालिंगम को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, जो 29 जनवरी, 2026 से 28 जुलाई, 2026 तक छह (6) महीने के एक और कार्यकाल के लिए प्रभावी होगा, जो एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

श्री महालिंगम का वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) में चार दशकों का पेशेवर करियर है। उन्होंने आरबीआई में वित्तीय बाजार विकास, विनियमन और संचालन, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, ऋण प्रबंधन और बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण सहित विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं। वह विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप के साथ-साथ देश के विदेशी मुद्रा भंडार और रुपया तरलता नीति और संचालन के प्रबंधन के मुख्य डीलर और कार्यकारी निदेशक (प्रभारी) थे। अपनी उपरोक्त जिम्मेदारियों को पूरा करने में, उन्होंने वैश्विक वित्तीय संकट, यूरोपीय ऋण संकट (2011-12) के साथ-साथ टेपर टैंट्रम (2013-2016) के दौरान आरबीआई की नियामक नीतियों और बाजार प्रचालन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह विदेशी मुद्रा नीतियों और मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन को आकार देने में निकटता से शामिल थे। सेबी के पूर्णकालिक बोर्ड सदस्य के रूप में अपनी भूमिका में, जिसमें कार्यकारी जिम्मेदारियां भी थीं, उन्हें म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, सूचीबद्ध कंपनियों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहलुओं, स्टॉक और डेरिवेटिव बाजारों, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को विनियमित करने का व्यापक अनुभव रहा है। उन्होंने प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के संबंध में जांच और प्रवर्तन कार्रवाइयों के संचालन की निगरानी की है। वह बाजार के दुराचार से जुड़े 500 से अधिक मामलों के लिए एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण थे। आरबीआई और सेबी में, वह विदेशी मुद्रा बाजार, वित्तीय बेंचमार्क, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समितियों से जुड़े थे। वह वर्तमान में द्वितीयक बाजारों के सलाहकार समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं।

श्री महालिंगम ने आईआईटी कानपुर से सांख्यिकी और संचालन अनुसंधान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने यूके के बर्मिंघम बिजनेस स्कूल से इंटरनेशनल बैंकिंग और फाइनेंस में एमबीए भी किया है।

निगम को श्री महालिंगम से एक घोषणा प्राप्त हुई है जिसमें यह पुष्टि की गई है कि वह जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (3) के साथ पठित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 16 (1) (बी) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करना जारी रखते हैं। उन्होंने पुष्टि की है कि सेबी या ऐसे किसी भी प्राधिकरण के किसी भी आदेश के आधार पर उन्हें निदेशक का पद धारण करने से वंचित नहीं किया गया है और उन्होंने निगम के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति भी दी है।

बोर्ड की राय में, श्री महालिंगम, एलआईसी अधिनियम 1956 एवं उसके तहत नियमों और सेबी सूचीबद्धता विनियमों, में निर्दिष्ट एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति की शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। योग्यता, कौशल, अनुभव, क्षमताओं और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड का मानना है कि उनके सहयोग से निगम के लिए अत्यधिक लाभ होगा और इसलिए, उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करना वांछनीय है।

उनकी पुनः नियुक्ति के नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध किए गए हैं।

सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, निगम के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री महालिगम की पुनःनियुक्ति की स्वीकृति लेने के लिए सूचना के मद संख्या 2 के तहत निहित संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री महालिगम और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार मद संख्या 2 के अंतर्गत दिए गए प्रस्ताव के पारित होने से किसी भी प्रकार से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं। सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36(3) और आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार उनकी पुनर्नियुक्ति का प्रासंगिक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक ए में दिया गया है।

तदनुसार, बोर्ड निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए सलग्न सूचना के मद संख्या 2 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

मद संख्या 3

डॉ. वी.एस. पार्थसारथी (डीआईएन: 00125299) को 27 सितंबर, 2022 को आयोजित निगम की पहली वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो 29 जनवरी, 2022 से 28 जनवरी, 2026 तक लगातार चार (4) वर्षों की अवधि के लिए (दोनों दिन शामिल) था और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 के साथ पठित एलआईसी नियमों के नियम 5 के अनुसार वह निगम के निदेशक मंडल में चार (4) वर्षों तक की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ("एनआरसी") ने डॉ. पार्थसारथी के प्रदर्शन मूल्यांकन के विभिन्न मापदंडों पर विचार करने और उनके ज्ञान, बुद्धिमत्ता, अनुभव, विशेषज्ञता और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान तथा समय प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड में छह (6) महीने के एक और कार्यकाल के लिए उनकी पुनः नियुक्ति की सिफारिश की है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर बोर्ड ने 28 जनवरी, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में डॉ. पार्थसारथी को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, जो 29 जनवरी, 2026 से 28 जुलाई, 2026 तक छह (6) महीने के एक और कार्यकाल के लिए प्रभावी होगा, जो एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

डॉ. वी. एस. पार्थसारथी के पास 40 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है, जिसमें उन्होंने व्यवसायों, कार्यों, संगठन परिवर्तनों और 125 से अधिक विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) लेनदेन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है।

वह आईसीएआई, भारत और आईसीएईडब्ल्यू, यूके से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम (2011) के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की है। हाल ही में, उन्होंने एम एंड ए पर एक पुस्तक (गाइडों के साथ) लिखी जिसका शीर्षक 'द एनाटॉमी ऑफ एम एंड ए' है।

वह कई सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में हैं। वह एनआईआईटी एमटीएस (एक सूचीबद्ध एडुटेक कंपनी) और पेन्नार इंडस्ट्रीज में स्वतंत्र निदेशक हैं। वह क्लाउडनाइन हॉस्पिटल्स, कार देखो, ग्रीनसेल मोबिलिटी जैसी कई कंपनियों के बोर्ड में भी हैं, जो यूनिकॉर्न+ आईपीओ की ओर अग्रसर हैं। वह स्टार्टअप को कोचिंग और मेंटरशिप भी प्रदान करते हैं।

डॉ. पार्थसारथी ने अपने करियर की शुरुआत मोदी जेरोक्स के साथ की और कई पदों और स्थानों पर सेवा करते हुए एसोसिएट डायरेक्टर के पद तक पहुंचे। महिंद्रा समूह में, जहां उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक सेवा की, उनकी अंतिम भूमिका मोबिलिटी सर्विसेज सेक्टर के अध्यक्ष के रूप में थी। इससे पहले, वह सात साल तक समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और समूह मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) थे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने महिंद्रा समूह के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया है और कई सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में रहे हैं।

वह SEWA (स्व-रोजगार महिला संघ) की शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए कई परोपकारी गतिविधियाँ संचालित करते हैं और इसकी दो कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक हैं।

उन्हें अपने सीएफओ और सीआईओ पदों के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड - यस बैंक हॉल ऑफ फेम अवार्ड; आईएमए कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड्स द्वारा बेस्ट सीएफओ ऑफ इंडिया अवार्ड; एचपीई द्वारा डिजिटल आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड; और लगातार चार वर्षों तक पुरस्कार जीतने के बाद सीआईओ 100 - हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। उन्हें मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में आजीवन उपलब्धि के लिए ईटी-हॉल ऑफ फेम पुरस्कार भी मिला है।

निगम को डॉ. पार्थसारथी से एक घोषणा प्राप्त हुई है जिसमें यह पुष्टि की गई है कि वह जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (3) के साथ पठित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 16 (1) (बी) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करना जारी रखता है। उन्होंने पुष्टि

की है कि सेबी या ऐसे किसी भी प्राधिकरण के किसी भी आदेश के आधार पर उन्हें निदेशक का पद धारण करने से वंचित नहीं किया गया है और उन्होंने निगम के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति भी दी है।

बोर्ड की राय में, डॉ. पार्थसारथी, एलआईसी अधिनियम 1956 एवं उसके तहत नियमों और सेबी सूचीबद्धता विनियमों में निर्दिष्ट एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति की शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। योग्यता, कौशल, अनुभव, क्षमताओं और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड का मानना है कि उनके सहयोग से निगम के लिए अत्यधिक लाभ होगा और इसलिए, उन्हें एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करना वांछनीय है।

उनकी पुनः नियुक्ति के नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध किए गए हैं।

सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, निगम के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. पार्थसारथी की पुनःनियुक्ति की स्वीकृति लेने के लिए सूचना के मद संख्या 3 के तहत निहित संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।

डॉ. पार्थसारथी और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार मद संख्या 3 के अंतर्गत दिए गए प्रस्ताव के पारित होने से किसी भी प्रकार से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं। सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36(3) और आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार उनकी पुनर्नियुक्ति का प्रासंगिक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक ए में दिया गया है।

तदनुसार, बोर्ड निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए संलग्न सूचना के मद संख्या 3 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

मद संख्या 4

भारत सरकार ने 03 दिसंबर, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सुश्री शालिनी पंडित को डॉ. प्रशांत कुमार गोयल के स्थान पर अगले आदेश तक निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में तुरंत प्रभाव से नामित किया है।

सुश्री शालिनी पंडित ओडिशा कैडर की एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं, जो वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

सुश्री पंडित ने भारत सरकार में अपना कार्यभार संभालने से पहले ओडिशा सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मिशन शक्ति विभाग और ओडिशा भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक, ओडिशा के श्रम आयुक्त और कई जिलों के लिए जिला कलेक्टर के रूप में भी काम किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने और स्वास्थ्य क्षेत्र में नेतृत्व करने में उनके काम की व्यापक रूप से सराहना की गई है।

सुश्री शालिनी पंडित ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से वनस्पति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से वन्यजीव विज्ञान में अपना एम.एससी पूरा किया।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित निदेशक की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता पर नीति (निदेशक नीति) के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, सरकार द्वारा नामित निदेशक बोर्ड और इसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा, ठहरने और परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति को छोड़कर कोई पारिश्रमिक, बैठक शुल्क या अन्य मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इसलिए, सुश्री पंडित निदेशकों की नीति में उल्लिखित प्रावधानों के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक, बैठक शुल्क या अन्य मुआवजा प्राप्त करने की हकदार नहीं हैं।

निदेशक नीति निगम की वेबसाइट <https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct> पर उपलब्ध है।

सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में सुश्री शालिनी पंडित की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए सूचना के मद संख्या 4 के तहत निहित संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।

सुश्री शालिनी पंडित और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 4 के तहत निहित प्रस्ताव पारित करने में संबन्धित या इच्छुक नहीं हैं। आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में उनकी नियुक्ति का प्रासंगिक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक ए में दिया गया है।

तदनुसार, बोर्ड निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए संलग्न सूचना के मद संख्या 4 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

मद संख्या 5

भारत सरकार ने 01 दिसंबर, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री रामकृष्णन चंद्र को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तारीख (यानी, सितंबर 30, 2027), या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तदनुसार श्री चंद्र ने 01 दिसंबर, 2025 को निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री रामकृष्णन चंद्र, वर्ष 1990 में एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुए। वह विज्ञान स्नातक और भारतीय बीमा संस्थान से फेलोशिप की हैं। उनके पास वित्तीय प्रबंधन में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएफएम) भी है। उनके पास वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन) और क्षेत्रीय प्रबंधक (पेंशन एवं समूह योजना) के साथ-साथ विपणन और प्रशासन जैसे पदों को संभालने का 35 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने कार्यकारी निदेशक के रूप में निगम की रणनीतिक व्यापार इकाई - अंतर्राष्ट्रीय संचालन का भी नेतृत्व किया।

प्रबंध निदेशक बनने से पहले, श्री रामकृष्णन चंद्र निगम के कार्यकारी निदेशक (निवेश - फ्रंट ऑफिस) एवं मुख्य निवेश अधिकारी रहे हैं।

श्री चंद्र की नियुक्ति की शर्तें भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक (सेवाओं के निश्चित नियमों एवं शर्तों का संशोधन) नियम, 1988, जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य लागू परिपत्रों/दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होती हैं।

सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री रामकृष्णन चंद्र की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए सूचना के मद संख्या 5 के तहत निहित संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री रामकृष्णन चंद्र और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 5 के तहत निहित प्रस्ताव पारित करने में संबन्धित या इच्छुक नहीं हैं। आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों और के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में उनकी नियुक्ति का प्रासंगिक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक ए में दिया गया है।

तदनुसार, बोर्ड निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए संलग्न सूचना के मद संख्या 5 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते भारतीय जीवन बीमा निगम
हस्ताक्षर/-
अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: अप्रैल 13, 2026

स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग,

नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

दूरभाष नंबर: 022 - 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com

वेबसाइट: www.licindia.in

अनुलग्नक ए

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के तहत और सचिवीय मानक - 2 के संदर्भ में नियुक्ति/पुनःनियुक्ति होने वाले निदेशक(कों) के संबंध में विवरण:

निदेशक का नाम	श्री गुरुमूर्ति महालिंगम
उम्र	69 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यता	एम.एससी (सांख्यिकी), एमबीए
डीआईएन	09660723
संक्षिप्त विवरण	संक्षिप्त विवरण इस सूचना के व्याख्यात्मक विवरण के मद संख्या -2 का हिस्सा है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, प्रतिभूति बाजार, वित्त एवं लेखा और अभिशासन
पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति के नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट: https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct पर उपलब्ध हैं
प्रस्तावित पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता नीति के अनुसार बैठक शुल्क जो कानून के लागू प्रावधान के अनुसार निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की जा सकती है।
अंतिम पारिश्रमिक का विवरण	पारिश्रमिक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान की गई बैठक शुल्क ₹28,20,000 शामिल है।
बोर्ड में पहली बार नियुक्त होने की तिथि	29 जनवरी, 2022
निगम में श्रेयरधारिता का विवरण	शून्य
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	वह निगम के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं है।
01 अप्रैल 2025 से इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की बैठकों की संख्या	उन्होंने 1 अप्रैल 2025 से लेकर इस सूचना की तारीख तक की अवधि के दौरान बोर्ड की 13 (तेरह) बैठकों में भाग लिया है।
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	<p>सिटी यूनिजन बैंक लिमिटेड (बोर्ड के अध्यक्ष)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● क्रेडिट समिति-अध्यक्ष ● हितधारक संबंध समिति-सदस्य ● जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य ● एनपीए और मुकदमे खातो की समीक्षा समिती-सदस्य ● एआरसी बिक्री समिति-सदस्य ● बीमा भागीदार के चयन के लिए समिति-सदस्य ● विलफुल डिफॉल्टरों और बड़े डिफॉल्टरों के साथ व्यवहार करने वाली समिति-सदस्य ● परिसर समिति-सदस्य

निदेशक का नाम	श्री गुरुमूर्ति महालिंगम
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	<p>केयर रेटिंग्स लिमिटेड</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष ● रेटिंग उप-समिति- अध्यक्ष ● नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य ● रणनीति और निवेश समिति - सदस्य <p>सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड</p> <ul style="list-style-type: none"> ● निवेश समिति- अध्यक्ष ● सदस्य समिति- अध्यक्ष ● नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य ● लेखापरीक्षा समिति- सदस्य ● नियामक निरीक्षण समिति-सदस्य <p>थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लेखापरीक्षा समिति - सदस्य ● हितधारक संबंध समिति - अध्यक्ष <p>इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड- किसी भी समिति के अध्यक्ष/सदस्य नहीं है।</p> <p>डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लेखापरीक्षा समिति-अध्यक्ष ● जोखिम प्रबंधन समिति-सदस्य
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनियां)	इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

निदेशक का नाम	डॉ. वी. एस. पार्थसारथी
उम्र	63 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यता	बी कॉम, एफसीए, पी.एच डी
डीआईएन	00125299
संक्षिप्त विवरण	संक्षिप्त विवरण इस सूचना के व्याख्यात्मक विवरण के मद संख्या -3 का हिस्सा है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	वित्त एवं लेखा, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन और अभिशासन
पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति/पुन नियुक्ति के नियम और शर्तें निगम की वेबसाइट: https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct पर उपलब्ध हैं
प्रस्तावित पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता नीति के अनुसार बैठक शुल्क जो कानून के लागू प्रावधान के अनुसार निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की जा सकती है।
अंतिम पारिश्रमिक का विवरण	पारिश्रमिक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान की गई बैठक शुल्क ₹28,00,000 शामिल है।
बोर्ड में पहली बार नियुक्त होने की तिथि	29 जनवरी, 2022
निगम में शेयरधारिता का विवरण	शून्य
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	वह निगम के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं है।

निदेशक का नाम	डॉ. वी. एस. पार्थसारथी
01 अप्रैल 2025 से इस नोटिस की तारीख तक बोर्ड की बैठकों में भाग लिया गया	उन्होंने 1 अप्रैल 2025 से लेकर इस सूचना की तारीख तक की अवधि के दौरान बोर्ड की 12 (बारह) बैठकों में भाग लिया है।
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	<p>एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लेखापरीक्षा समिति- अध्यक्ष ● जोखिम प्रबंधन समिति- सदस्य ● नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति-सदस्य <p>पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लेखापरीक्षा समिति- अध्यक्ष <p>किड्स क्लिनिक इंडिया लिमिटेड</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लेखापरीक्षा समिति- सदस्य ● नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - अध्यक्ष ● जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य <p>इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लेखापरीक्षा समिति - सदस्य ● नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य ● कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति - सदस्य <p>पीजीपी ग्लास लिमिटेड</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष ● लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष <p>गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष ● नामांकन और पारिश्रमिक समिति - सदस्य <p>ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष ● नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - अध्यक्ष ● जोखिम समिति - सदस्य <p>एवरेनविरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (बोर्ड के अध्यक्ष)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लेखापरीक्षा समिति - सदस्य ● नेतृत्व विकास समावेशन एवं मुआवजा समिति - अध्यक्ष ● वित्त समिति - अध्यक्ष <p>मेपल इंफ्रा इनविट इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड</p> <ul style="list-style-type: none"> ● लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष ● नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - सदस्य <p>रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड- किसी भी समिति के अध्यक्ष/सदस्य नहीं है।</p> <p>ग्रासरूट नेटवर्क (जीटीएनएफडब्ल्यू) एक धारा 8 कंपनी - किसी भी समिति के अध्यक्ष/सदस्य नहीं है।</p>
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनियां)	ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड

निदेशक का नाम	सुश्री शालिनी पंडित
उम्र	51 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यता	स्नातक (वनस्पति विज्ञान) और वन्यजीव विज्ञान में एम.एससी
डीआईएन	07780142
संक्षिप्त विवरण	संक्षिप्त विवरण इस सूचना के व्याख्यात्मक विवरण के मद संख्या -4 का हिस्सा है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	प्रशासन, वित्त, जोखिम प्रबंधन और बीमा
नियुक्ति के नियम और शर्तें	भारत सरकार की दिसंबर 03, 2025 की अधिसूचना के अनुसार। अन्य विवरण निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct
प्रस्तावित पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं
अंतिम पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं
बोर्ड में पहली बार नियुक्त होने की तिथि	03 दिसम्बर, 2025
निगम में शेयरधारिता का विवरण	शून्य
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	वह निगम के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं है।
उनकी नियुक्ति की तारीख से इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की बैठकों में भाग लिया गया	उन्होंने 03 दिसंबर 2025 से लेकर इस सूचना की तारीख तक की अवधि के दौरान बोर्ड की 4 (चार) बैठकों में भाग लिया है
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	राउरकेला स्मार्ट सिटी लिमिटेड -किसी भी समिति की अध्यक्ष/सदस्य नहीं है।
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनियां)	पिछले तीन वर्षों में किसी भी सूचीबद्ध कंपनी से निदेशक पद से इस्तीफा नहीं दिया है।

निदेशक का नाम	श्री रामकृष्णन चंद्र
उम्र	58 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यता	बी.एससी, पीजीडीएफ और भारतीय बीमा संस्थान से फेलोशिप
डीआईएन	11331783
संक्षिप्त विवरण	संक्षिप्त विवरण इस सूचना के व्याख्यात्मक विवरण के मद संख्या -5 का हिस्सा है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	बीमा, विपणन, वित्त और प्रशासन
नियुक्ति के नियम और शर्तें	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 01 दिसम्बर, 2025 के अनुसार और अन्य विवरण निगम की वेबसाइट: https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct पर उपलब्ध हैं
प्रस्तावित पारिश्रमिक का विवरण	भारत सरकार की 01 दिसंबर, 2025 की अधिसूचना के साथ पठित भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक (सेवाओं के कुछ नियमों और शर्तों का संशोधन) नियम, 1988, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू कानून/परिपत्र/दिशा निर्देश के अनुसार
अंतिम पारिश्रमिक का विवरण	₹4,31,508 के मासिक वेतन (सकल वेतन)
बोर्ड में पहली बार नियुक्त होने की तिथि	01 दिसम्बर, 2025
निगम में शेयरधारिता का विवरण	197 शेयर
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	वह निगम के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं है।
उनकी नियुक्ति की तारीख से इस सूचना की तारीख तक बोर्ड की बैठकों में भाग लिया गया	उन्होंने 01 दिसंबर 2025 से लेकर इस सूचना की तारीख तक की अवधि के दौरान बोर्ड की 5 (पांच) बैठकों में भाग लिया।
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	एलआईसी एचएफएल केयर होम लिमिटेड- किसी भी समिति के अध्यक्ष और सदस्य नहीं है। एलआईसी कार्डस सर्विस लिमिटेड- किसी भी समिति के अध्यक्ष और सदस्य नहीं है। एलआईसी म्युचअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड- किसी भी समिति के अध्यक्ष और सदस्य नहीं है।
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनियां)	पिछले तीन वर्षों में किसी भी सूचीबद्ध कंपनी से निदेशक पद से इस्तीफा नहीं दिया है।

(अस्वीकरण:- डाक मतपत्र की सूचना में किसी भी अस्पष्टता/त्रुटि होने की स्थिति में अग्रेंजी संस्करण में उल्लेखित सूचना को सही माना जाएगा)



LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)

IRDAI Registration No. 512

Central Office: 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Mumbai, Maharashtra – 400 021

Tel. No.: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com; Website: www.licindia.in

POSTAL BALLOT NOTICE

[Pursuant to Section 23A of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 28 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 and the provisions of the Companies Act, 2013 (to the extent applicable) read with rules made thereunder]

Dear Member(s),

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 23A of the Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act, 1956") read with Rule 28 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 ("LIC Rules") and applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with rules made thereunder, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, including any statutory amendment(s), modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, and in compliance with, guidelines/circulars/rules issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Government of India, for holding general meetings/conducting postal ballot process through voting by electronic means ("remote e-voting") vide General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and General Circular No. 3/2025 dated September 22, 2025 read along with other connected circulars issued in this regard ("MCA Circulars") and pursuant to other applicable laws and regulations, the following special businesses are proposed to be passed by the Members of Life Insurance Corporation of India ("LIC" or "the Corporation") by way of Postal Ballot through remote e-voting only.

SPECIAL BUSINESS:

1. Issue of Bonus Shares

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a **SPECIAL RESOLUTION**:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 5 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Life Insurance Corporation General Regulations, 2021, the Companies Act, 2013 (to the extent applicable) read with rules made thereunder, Regulations 293, 294 and 295 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("**SEBI ICDR Regulations**"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**SEBI Listing Regulations**"), the Foreign Exchange Management Act, 1999 ("FEMA") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), other applicable rules, regulations and guidelines issued by SEBI and Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI"), from time to time and subject to such approvals, consents, permissions, conditions and sanctions as may be necessary from appropriate authorities (including Government of India), approval of the Members of the Corporation, be and is hereby accorded to capitalise a sum of ₹ 6324,99,77,010/- (Rupees Six Thousand Three Hundred Twenty-Four Crores Ninety-Nine Lakh Seventy-Seven Thousand and Ten Only) from reserve and surplus for the purpose of the issuance and allotment of bonus equity shares of ₹ 10/- (Rupees Ten Only) each, credited as fully paid-up equity shares to those eligible members of the Corporation whose names appear in the Register of Members or Beneficial Ownership statement as on "Record Date" as may be determined by the Board for this purpose, in the proportion of 1:1, i.e., 1 (One) bonus equity share for every 1 (One) existing fully paid-up equity share held by the Members of the Corporation as on the Record Date and that the new bonus equity shares so issued and allotted shall, for all purposes, be treated as an increase in the paid-up capital of the Corporation.

RESOLVED FURTHER THAT the bonus shares so allotted shall rank *pari-passu* in all respects with the fully paid-up equity shares of the Corporation as on the Record Date and the same shall be subject to the terms and conditions contained in the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder.

RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the SEBI ICDR Regulations, the new equity shares to be allotted pursuant to the bonus issue shall be allotted in dematerialised form only and shall be credited to the respective beneficiary demat accounts of the Members maintained with their respective depository participant(s) and with respect to the Members holding equity shares in physical form as on the Record Date, the Corporation shall credit the bonus equity shares to a new Suspense Escrow Demat Account till they are credited to the beneficiary accounts of the respective members upon receipt of requisite documents.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of the bonus equity shares to Non-Resident Members, Foreign Portfolio Investors ("FPIs") / Foreign Institutional Investors ("FIIs") and other Foreign Investors, shall be subject to the approval, if any, of Reserve Bank of India ("RBI") under the FEMA or any other regulatory authority.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors (including any of its Committee thereof), be and is hereby authorised to take necessary steps for listing of the bonus equity shares on the Stock Exchanges where the equity shares of the Corporation are presently listed as per the provisions of the SEBI Listing Regulations and other applicable regulations, rules and guidelines.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors (hereinafter referred to as 'Board', which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/empowered by the Board, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), Chief Executive Officer & Managing Director, Managing Directors, Chief Financial Officer, Executive Director (Board & Secretarial) and Company Secretary & Compliance Officer of the Corporation, be and are hereby jointly or severally authorised on behalf of the Corporation to sign and execute all such documents, deeds and writings and to do all such acts, deeds, matters and things, as may be deemed necessary, expedient and incidental thereto with power to settle all questions, doubts or difficulties that may arise with regard to any of the said matters, including but not limited to negotiating, finalising, amending, signing, delivering, executing the terms of any contracts or any other relevant documents with the IRDAI, Stock Exchanges, Depositories and other appropriate authorities in due compliance of the applicable rules and regulations with regard to the issue of bonus equity shares as aforesaid and to carry out/ execute all matters in connection therewith and incidental thereto in order to give full effect to this resolution including execution and filing, without being required to seek any further consent or approval of the Members of the Corporation."

2. Re-appointment of Shri Mahalingam G (Gurumoorthy Mahalingam) (DIN: 09660723) as Independent Director of the Corporation

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a **SPECIAL RESOLUTION**:

RESOLVED THAT pursuant to Section 4(2)(g), 4A and 4B of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 5 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, Regulation 16(1) (b), Regulation 17 and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors, the re-appointment of Shri Mahalingam G (DIN: 09660723), who was appointed as an Independent Director at the 1st Annual General Meeting of the Corporation held on September 27, 2022 and who held office up to January 28, 2026 and has submitted a declaration confirming that he meets the criteria of independence as provided in Section 4(3) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 and Regulation 16(1) (b) of the SEBI Listing Regulations, and who is eligible for re-appointment as a Non-Executive Independent Director of the Corporation, for one further term of six (6) months commencing from January 29, 2026 up to July 28, 2026, be and is hereby approved.

RESOLVED FURTHER THAT pursuant to the provisions of Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules made thereunder, SEBI Listing Regulations, Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity Policy of the Corporation ("Directors' Policy") and other applicable provisions, if any, Shri Mahalingam G shall be entitled to receive the remuneration/fees/commission as permitted to be received in the capacity of Non-Executive Independent Director, as recommended by the Nomination & Remuneration Committee and approved by the Board of Directors, from time to time.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Corporation (including its Committee thereof), be and is hereby authorised to do all acts and take all such steps, as may be necessary, expedient and desirable for the purpose of giving effect to this resolution."

3. Re-appointment of Dr. V.S. Parthasarathy (DIN: 00125299) as Independent Director of the Corporation

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a **SPECIAL RESOLUTION**:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Sections 4(2)(g), 4A and 4B of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 5 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, Regulation 16(1) (b), Regulation 17 and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors, the re-appointment of Dr. V.S. Parthasarathy (DIN: 00125299), who was appointed as an Independent Director at the 1st Annual General Meeting of the Corporation held on September 27, 2022 and who held office up to January 28, 2026 and has submitted a declaration confirming that he meets the criteria of independence as provided in Section 4(3) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 and Regulation 16(1) (b) of the SEBI Listing Regulations, and who is eligible for re-appointment as a Non-Executive Independent Director of the Corporation, for one further term of six (6) months commencing from January 29, 2026 up to July 28, 2026, be and is hereby approved.

RESOLVED FURTHER THAT pursuant to the provisions of Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules made thereunder, SEBI Listing Regulations, Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity Policy of the Corporation (“Directors' Policy”) and other applicable provisions, if any, Dr. V.S. Parthasarathy shall be entitled to receive the remuneration/fees/commission as permitted to be received in the capacity of Non-Executive Independent Director, as recommended by the Nomination & Remuneration Committee and approved by the Board of Directors, from time to time.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Corporation (including its Committee thereof), be and is hereby authorised to do all acts and take all such steps, as may be necessary, expedient and desirable for the purpose of giving effect to this resolution.”

4. Appointment of Ms. Shalini Pandit (DIN: 07780142) as Government Nominee Director of the Corporation

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **ORDINARY RESOLUTION**:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 4(2)(d) of the Life Insurance Corporation Act, 1956, the appointment of Ms. Shalini Pandit vide Government of India's notification dated December 03, 2025, appointing her as Government Nominee Director on the Board of the Corporation with immediate effect and until further orders, be and is hereby approved.”

5. Appointment of Shri Ramakrishnan Chander (DIN: 11331783) as Managing Director of the Corporation

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **ORDINARY RESOLUTION**:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 4(2)(c) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 3 and 4 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the appointment of Shri Ramakrishnan Chander as Managing Director of the Corporation vide Government of India's notification dated December 01, 2025, who assumed charge in the pay scale of ₹ 2,05,400/- to ₹ 2,24,400/- w.e.f., December 01, 2025 and upto the date of his attaining superannuation (i.e., September 30, 2027), or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved.”

By Order of the Board
For Life Insurance Corporation of India

Sd/-
Anshul Kumar Singh
Company Secretary & Compliance Officer

Date: April 13, 2026

Place: Mumbai

Central Office:

Life Insurance Corporation of India

'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Nariman point,

Mumbai – 400021

Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com

Website: www.licindia.in

Notes:

1. An Explanatory Statement pursuant to Section 23A of the LIC Act, 1956 read with Rule 28 of LIC Rules, Secretarial Standards on General Meetings ("SS 2") and Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations, setting out all material facts relating to the proposed resolutions is annexed hereto and forms part of this Notice. The Corporation has received relevant disclosure/consent from the Director(s) seeking appointment/re-appointment.
2. Pursuant to the provisions of the LIC Act, 1956 read with Rule 28 of LIC Rules, the Companies Act, 2013 (to the extent applicable) read with rules made thereunder, applicable MCA Circulars, SEBI Listing Regulations and other applicable laws, rules and regulations, the Corporation is sending the Postal Ballot Notice in electronic form only, instead of dispatching the hard copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope to the Members for this Postal Ballot. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the Members would take place through remote e-voting only.
3. The Postal Ballot Notice is being sent by e-mail to all Members, whose names appear in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, i.e., National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on **Wednesday, April 15, 2026 ("Cut-Off Date")** and who have registered their e-mail addresses, in respect of electronic holdings, with the Depository through the concerned Depository Participants ("DPs") and in respect of physical holdings, with the Registrar and Share Transfer Agent of the Corporation, i.e., KFin Technologies Limited ("RTA"), in accordance with the provisions of the LIC Act, 1956 read with the rules made thereunder, the Companies Act, 2013 (to the extent applicable) and the framework provided under the MCA Circulars.

Cut-Off Date is for determining the eligibility to vote by electronic means. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat this Notice as for information purposes only.

4. Corporate/Institutional Members are required to send a scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/ Authority Letter, etc., authorising their representative to vote on their behalf on the resolutions proposed in the Postal Ballot Notice. The said Resolution/Authorisation may be sent to the Scrutinizer by email through registered email address to snaco@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com. Corporate/Institutional Member can also upload their Board Resolution/Authority letter/Power of Attorney etc. by clicking on "Upload Board Resolution/Authority letter" displayed under "**e-voting**" tab in their login.
5. In case of joint holders, the Member whose name appears higher in the order of names as per the Register of Members of the Corporation will be entitled to vote.
6. This Postal Ballot Notice is also available on the Corporation's website at www.licindia.in and on the website of the Stock Exchanges, i.e., National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com and BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
7. Pursuant to Section 23A of the LIC Act, 1956 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Corporation is pleased to provide the facility of voting by electronic means viz; 'remote e-voting' to its members to cast their votes electronically. For this purpose, the Corporation has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means.
8. This Notice of Postal Ballot could not be served upon those Members whose e-mail addresses are not registered with the Corporation/DPs/RTA, however, Members to be eligible for e-voting can obtain the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password by sending an email request to evoting@nsdl.com.
9. Shri S.N.Viswanathan (Membership No. FCS 13685) and failing him, Smt. Aparna Gadgil (Membership No. ACS 14713) of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, has been appointed as the Scrutiniser by the Board to scrutinise the Postal Ballot process and the e-voting in a fair and transparent manner. The Scrutiniser will submit his/her report to the Chairperson of the Board or to any other person authorised by the Chairperson of the Board upon completion of the scrutiny of the e-voting, within the time stipulated under the applicable laws. The result declared along with the Scrutiniser's report shall be communicated to the Stock Exchanges on which the Corporation's shares are listed, NSDL and will also be displayed on the Corporation's website under the 'Investor Relations' section at www.licindia.in.
10. The e-voting shall commence on Saturday, April 18, 2026 (09:00 a.m. IST) and end on Sunday, May 17, 2026 (05:00 p.m. IST). During this period, Member holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Cut-Off Date, may cast their vote electronically. The e-voting facility will be disabled by NSDL immediately thereafter and the Members will not be allowed to cast their vote beyond the said date and time. Once the vote on resolution is cast by the

Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Corporation as on the Cut-Off Date, i.e., Wednesday, April 15, 2026.

11. All the documents referred to in this Postal Ballot Notice will be available for inspection electronically until the last date of e-voting. Members seeking to inspect such documents can send their request at investors@licindia.com.
12. Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories / RTA for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:
 - (i) Members holding shares in physical form, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) at investors@licindia.com.
 - (ii) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16-digit DPID + CLID or 16-digit beneficiary ID), name, client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (scanned self-attested copy of PAN card), AADHAR (scanned self-attested copy of Aadhar Card) to einward.ris@kfintech.com.
 - (iii) Alternatively, shareholders/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
13. **The details of the process and manner of e-voting:**

As per the SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 dated November 11, 2024, on 'e-voting facility provided by Listed Companies', e-voting process has been enabled to all demat account holders, by way of single login credential, through their demat accounts/websites of Depositories/Depository Participants, to increase the efficiency of the voting process. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the e-voting service provider ("ESP") thereby facilitating not only seamless authentication but also ease and convenience of participating in e-voting process.

The way to vote electronically on NSDL e-voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:





Step 1: Access to NSDL e-voting system

- A) Login method for e-voting for Individual Members holding securities in demat mode:

As per SEBI circular dated December 09, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, Individual members holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email address in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Login method for Individual Members holding securities in demat mode is given below:

Type of Members	Login Method
Individual Members holding securities in demat mode with NSDL.	<ol style="list-style-type: none"> 1. For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN, Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email address/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-voting page. Click on Company name or e-voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-voting period. 2. Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password.

Type of Members	Login Method
	<p>After successful authentication, you will be able to see e-voting services under Value added services. Click on “Access to e-voting” under e-voting services and you will be able to see e-voting page. Click on company name or e-voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-voting period.</p> <p>3. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsd.com. Select “Register Online for IDeAS Portal” or click at https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>4. Visit the e-voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsd.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/ Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-voting page. Click on company name or e-voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-voting period.</p> <p>5. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speede” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.</p> <p style="text-align: center;">NSDL Mobile App is available on</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 10px;">   </div>
<p>Individual Members holding securities in demat mode with CDSL</p>	<p>1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password.</p> <p>2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by Company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-voting page of the e-voting service provider for casting your vote during the remote e-voting period. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-voting Service Providers, so that the user can visit the e-voting service provider’s website directly.</p> <p>3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option.</p> <p>4. Alternatively, the user can directly access e-voting page by providing Demat Account Number and PAN from an e-voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-voting Service Providers.</p>

Type of Members	Login Method
Individual Members (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-voting option. Click on e-voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-voting feature. Click on company name or e-voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-voting period.

Important note:

Members who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL:

Login type	Helpdesk details
Individual Members holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022-4886 7000
Individual Members holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800-21-09911

B) Login Method for members other than Individual members holding securities in demat mode and members holding securities in physical mode.

1. Visit the e-voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL e-services i.e. IDeAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDeAS login. Once you log-in to NSDL e-services after using your log-in credentials, click on e-voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 139122 then user ID is 139122001***

5. Password details for members other than Individual members are given below:

- a) If you are already registered for e-voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

- c) How to retrieve your 'initial password'?
 - i. If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment, i.e., a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - ii. If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**
6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
 - a) Click on "**Forgot User Details/Password?**" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b) **Physical User Reset Password?** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-voting will open.

Step 2 : Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

- (a) After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle.
- (b) Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period. The "EVEN" is 139122.
- (c) Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
- (d) Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- (e) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- (f) You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
- (g) Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

14. General Guidelines for shareholders:

- (i) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts of keying in the correct password. In such an event, you will need to go through the “Forgot User Details/Password?” or “Physical User Reset Password?” option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
- (ii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders/Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request to Shri Sanjeev Yadav, Deputy Manager from NSDL at the designated e-mail id: evoting@nsdl.com.

By Order of the Board
For Life Insurance Corporation of India

Sd/-
Anshul Kumar Singh
Company Secretary & Compliance Officer

Date: April 13, 2026
Place: Mumbai
Central Office:
Life Insurance Corporation of India
'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Nariman point,
Mumbai – 400021
Tel. No: 022 – 2202 2079
Email: investors@licindia.com
Website: www.licindia.in

STATEMENT PURSUANT TO RULE 28 OF LIFE INSURANCE CORPORATION GENERAL RULES, 1956

Item No 1.

Life Insurance Corporation of India (“the Corporation” or “LIC”) was established on September 01, 1956 under Life Insurance Corporation Act, 1956 (“LIC Act, 1956”). In the year 2022, Corporation came with the Initial Public Offer (“IPO”) by way of Offer for Sale by Hon’ble President of India, acting through the Ministry of Finance, Government of India (“Selling Shareholder”) and on May 17, 2022, the equity shares of the Corporation were listed on the stock exchanges, i.e., BSE Limited (“BSE”) and National Stock Exchange of India Limited (“NSE”).

The Board of Directors (“the Board”) of the Corporation, at its meeting held on April 13, 2026, has approved the issue of bonus equity shares in the ratio of 1:1, i.e., 1 (One) new bonus equity share of face value of ₹10/- (Rupee Ten Only) each for every 1 (One) existing fully paid-up equity share of face value of ₹10/- (Rupee Ten Only) each, held by the members as on the Record Date, by capitalising a sum not exceeding ₹6324,99,77,010 (Rupees Six Thousand Three Hundred Twenty-Four Crores Ninety-Nine Lakhs Seventy-Seven Thousand and Ten Only) out of Reserve and Surplus of the Corporation available as at December 31, 2025, subject to the approval of the members of the Corporation.

While considering the issue of bonus equity shares, the Board is of the opinion that the proposed issuance of bonus shares in the ratio of 1:1 would be the appropriate way to reward the members for their continued support and trust in the affairs of the Corporation. The Board also noted that the bonus issue may also help in bringing a balance between paid-up capital and accumulated reserves of the Corporation and also enhance liquidity, marketability by making the share more affordable and attractive to a broader range of investors.

Pursuant to Section 5 of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder and other applicable provisions, if any, and subject to applicable statutory and regulatory approvals, if any, the Corporation may from time to time increase its issued share capital, *inter-alia* by way of issue of bonus equity shares to existing members with prior approval of Central Government and subject to the approval of the members of the Corporation by passing a special resolution. Regulation 7 of Life Insurance Corporation General Regulations, 2021 (“LIC Regulations”), *inter-alia* permits capitalisation of any part of the amount for the time being standing to the credit of Corporation’s free reserve or share premium accounts and no issue of bonus shares shall be made by capitalising reserves created by the revaluation of assets. The Corporation is utilizing Shareholders Reserves for issuing Bonus Shares in terms of Section 28 of the LIC Act, 1956.

The Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, vide its letter dated March 24, 2026, has conveyed in-principle approval to issue Bonus shares to existing members of the Corporation, as on record date, in terms of Section 5 of the LIC Act, 1956. Now, the approval of the members of the Corporation is hereby sought by way of Special resolution as set out in the Postal Ballot Notice.

Accordingly, the capital of the Corporation post issue is projected below:

Particulars	Existing	Ratio 1:1 (One Bonus share for every One share held)	
		Bonus Issue	Post Bonus Issue
Authorised Capital (Shares)	2500,00,00,000	--	--
Authorised Capital (₹)	25000,00,00,000	--	--
Issued, Subscribed and Paid-up Capital (Shares)	632,49,97,701	632,49,97,701	1264,99,95,402
Issued, Subscribed and Paid-up Capital (₹)	6324,99,77,010	6324,99,77,010	12649,99,54,020

In terms of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“SEBI ICDR Regulations”), the new equity shares to be allotted pursuant to the bonus issue shall be only in dematerialised form. In case of members who hold equity shares in physical form, the bonus equity shares shall be credited to a separate Suspense Escrow Demat Account until these shares are credited by the Corporation in dematerialised form to the beneficiary accounts of such members with their respective Depository Participant(s), subject to the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, SEBI Listing Regulations, SEBI ICDR Regulations or any other applicable laws, regulations, rules and guidelines as may be issued by Securities and Exchange Board of India or any other authority in this regard. The voting rights of such bonus equity shares held in the suspense escrow demat account shall remain frozen.

Pursuant to the proviso to Regulation 295 of SEBI ICDR Regulations, the bonus issue would be implemented by the Corporation within two months from April 13, 2026, being the date of the Board Meeting wherein the decision to announce the bonus issue was taken subject to Members' approval. The "Record Date" as may be determined by the Board of Directors of the Corporation for the purpose of Bonus Issue shall be announced separately to the Stock Exchanges, where the equity shares of the Corporation are listed.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Corporation / their relatives are, in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out in this Postal Ballot Notice, except to the extent of issue and allotment of bonus shares to them consequent to their shareholding, if any, in the Corporation as on the record date.

The Board recommends the Special Resolution set out in Item No. 1 of the accompanying Notice for approval by the Members of the Corporation.

Item No 2.

Shri Mahalingam G (Gurumoorthy Mahalingam) (DIN: 09660723) was appointed as an Independent Director of the Corporation by the members at 1st Annual General Meeting of the Corporation held on September 27, 2022 for a period of four (4) consecutive years commencing from January 29, 2022 to January 28, 2026 (both days inclusive) and is eligible for re-appointment for one further term of up to four (4) years on the Board of the Corporation, in terms of Section 4 of LIC Act, 1956 read with Rule 5 of LIC Rules.

The Nomination & Remuneration Committee ("NRC") after taking into consideration the various parameters of performance evaluation of Shri Mahalingam and considering his knowledge, acumen, experience, expertise and substantial contribution due and time commitment, has recommended his re-appointment for one further term of six (6) months to the Board.

Based on the recommendation of the Nomination & Remuneration Committee, the Board in its meeting held on January 28, 2026 has re-appointed Shri Mahalingam as an Independent Director, for one further term of six (6) months effective from January 29, 2026 up to July 28, 2026, subject to approval of the members by way of a Special Resolution.

Shri Mahalingam has a professional career of four decades spanning across the financial sector regulators, Reserve Bank of India (RBI) and Securities & Exchange Board of India (SEBI). He has taken on varied roles in RBI encompassing financial market development, regulation and operations, foreign exchange reserves management, debt management and regulation and supervision of banks. He was the Chief Dealer and Executive Director (In-charge) of forex market interventions as well as management of forex reserves of the country and rupee liquidity policy and operations. In fulfilling his above responsibilities, he was instrumental in formulating regulatory policies and conduct of market operations of RBI during the global financial crisis, European debt crisis (2011-12) as well as the taper tantrum (2013-2016). He was closely involved in giving shape to foreign exchange policies and monetary policy implementation. In his role as a Whole-time Board Member of SEBI, which carried Executive responsibilities as well, he has had a wide experience regulating Mutual Funds, Stock exchanges, Listed companies, foreign portfolio investors, corporate governance aspects, stock and derivatives markets, corporate bond market, amongst others. He has supervised the conduct of investigations and enforcement actions in regard to violations of securities laws and regulations. He was a quasi-judicial authority for a little over 500 cases involving market misdemeanors. In RBI and SEBI, he was associated with important committees in the area of forex markets, financial benchmarks, corporate bond markets, etc. He is currently chairing the SEBI Advisory Committee on Secondary Markets.

Shri Mahalingam began his career as a commercial banker with the State Bank of India after finishing his Masters in Statistics and Operations Research from IIT Kanpur. He is also an MBA in International Banking and Finance from the Birmingham Business School in the UK.

The Corporation has received a declaration from Shri Mahalingam confirming that he continues to meet the criteria of independence as prescribed under Section 4(3) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Regulation 16(1) (b) of the SEBI Listing Regulations. He has confirmed that he is not debarred from holding the office of director by virtue of any order from SEBI or any such authority and has also given his consent to act as Director of the Corporation.

In the opinion of the Board, Shri Mahalingam fulfils the conditions for re-appointment as an Independent Director as specified in the LIC Act 1956, rules thereunder and SEBI Listing Regulations and is independent of management. Having regard to the qualifications, skill, experience, capabilities and knowledge, the Board considers that his association would be of immense benefit to the Corporation and hence, it is desirable to re-appoint him as an Independent Director.

The terms and conditions of his re-appointment are available on the website of the Corporation at www.licindia.in.

In terms of Regulation 17 of the SEBI Listing Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 2 of the Notice for taking approval of the re-appointment of Shri Mahalingam G as Independent Director.

Except Shri Mahalingam and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 2. The relevant details of his re-appointment, in terms of Regulation 36(3) of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard – 2, issued by ICSI is provided in Annexure A to this notice.

The Board recommends the Special Resolution set out in Item No. 2 of the accompanying Notice for approval by the Members of the Corporation.

Item No 3.

Dr. V.S. Parthasarathy (DIN: 00125299) was appointed as an Independent Director of the Corporation by the members at 1st Annual General Meeting of the Corporation held on September 27, 2022 for a period of four (4) consecutive years commencing from January 29, 2022 to January 28, 2026 (both days inclusive) and is eligible for re-appointment for one further term of up to four (4) years on the Board of the Corporation, in terms of Section 4 of LIC Act, 1956 read with Rule 5 of LIC Rules.

The Nomination & Remuneration Committee (“NRC”) after taking into consideration the various parameters of performance evaluation of Dr. Parthasarathy and considering his knowledge, acumen, experience, expertise and substantial contribution due and time commitment, has recommended his re-appointment for a further term of six (6) months to the Board.

Based on the recommendation of the Nomination & Remuneration Committee, the Board in its meeting held on January 28, 2026 has re-appointed Dr. Parthasarathy as an Independent Director, for one further term of six (6) months effective from January 29, 2026 up to July 28, 2026, subject to approval of the members by way of a Special Resolution.

Dr. Parthasarathy has over 40 years of rich experience wherein he has successfully led businesses, functions, organization transformations and over 125 Merger & Acquisition (M&A) transactions.

He is a Chartered Accountant from ICAI, India and ICAEW, UK and an alumnus of Harvard Business School’s Advance Management Programme (2011). He had completed his PhD from Mumbai University. Recently, he authored (with guides) a Book on M&A titled ‘The Anatomy of M&A’.

He is on the board of several listed and unlisted companies. He is an Independent Director on NIIT MTS a Edutech Listed company and Pennar Industries. He is on the Boards of companies on path to being unicorn+ IPO like Cloudnine Hospitals, Car Dekho, Greencell Mobility, to mention a few. He also coaches and mentors Startups.

Dr. Parthasarathy started his career with Modi Xerox and rose to a position of Associate Director, serving across multiple positions and locations. In Mahindra Group, where he served for more than two decades, his last role was as the President of Mobility Services Sector. Prior to that, he was the Group Chief Financial Officer (CFO) & Group Chief Information Officer (CIO) for seven years. Additionally, he has served as a member of the Mahindra Group Executive Board and been on the board of several listed companies.

He carries out several philanthropic activities for women’s empowerment through education, employment and entrepreneurship initiatives of SEWA (Self Employed Women’s Association) and is an Independent Director on two of its companies.

He has received Lifetime Achievement Awards for his CFO and CIO roles, Business World - Yes Bank Hall of Fame Award; Best CFO of India Award by IMA Corporate Excellence Awards; Digital Icon of India Award by HPE; and CIO 100 – Hall of Fame by CIO after winning the awards for four consecutive years. He also won ET - Hall of Fame Award for Lifetime Achievement as CFO.

The Corporation has received a declaration from Dr. Parthasarathy confirming that he continues to meet the criteria of independence as prescribed under Section 4(3) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Regulation 16(1) (b) of the SEBI Listing Regulations. He has confirmed that he is not debarred from holding the office of director by virtue of any order from SEBI or any such authority and has also given his consent to act as Director of the Corporation.

In the opinion of the Board, Dr. Parthasarathy fulfils the conditions for re-appointment as an Independent Director as specified in the LIC Act 1956, rules thereunder and SEBI Listing Regulations and is independent of management. Having regard to the qualifications, skill, experience, capabilities and knowledge, the Board considers that his association would be of immense benefit to the Corporation and hence, it is desirable to re-appoint him as an Independent Director.

The terms and conditions of his re-appointment are available on the website of the Corporation at www.licindia.in.

In terms of Regulation 17 of the SEBI Listing Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 3 of the Notice for taking approval of the re-appointment of Dr. V.S. Parthasarathy as Independent Director

Except Dr. Parthasarathy and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 3. The relevant details of his re-appointment, in terms of Regulation 36(3) of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard – 2, issued by ICSI is provided in Annexure A to this notice.

The Board recommends the Special Resolution set out in Item No. 3 of the accompanying Notice for approval by the Members of the Corporation.

Item No. 4

The Government of India vide their notification dated December 03, 2025, has nominated Ms. Shalini Pandit as Government Nominee Director of the Corporation with immediate effect and until further orders, in place of Dr. Parshant Kumar Goyal.

Ms. Shalini Pandit is an Indian Administrative Service (IAS) officer of the Odisha cadre presently serving as Joint Secretary in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

Ms. Pandit has held several key positions in the Odisha government prior to moving to her assignment with the Government of India. She has served as Secretary for School & Mass Education Department, Health & Family Welfare Department, Mission Shakti Department and Odia Language, Literature & Culture Department, Odisha. She has also served as Mission Director, National Health Mission, Labour Commissioner, Odisha, and District Collector for several districts. Her work in bringing reforms to the education sector and leadership in the health sector during the Covid-19 pandemic is widely appreciated.

Ms. Shalini Pandit graduated in Botany from Miranda House College, University of Delhi and completed her M.Sc. in Wildlife Science from the Wildlife Institute of India, Dehradun.

Pursuant to “Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity Policy” (“Directors' Policy”) approved by the Board, as amended, the Government Nominee Director is not entitled to receive any remuneration, sitting fees, or other compensation except reimbursement of travel, stay and transport expenses for attending the Board and its committee meeting. Therefore, Ms. Pandit is not entitled to receive any remuneration, sitting fees, or other compensation except as mentioned under Directors' Policy.

The Directors' Policy is available on the website of the Corporation at <https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct>.

In terms of Regulation 17 of the SEBI Listing Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 4 of the Notice for taking formal approval of the appointment of Ms. Shalini Pandit as Government Nominee Director.

Except Ms. Shalini Pandit and her relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 4. The relevant details of her appointment, in terms of Regulation 36(3) of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard – 2, issued by ICSI is provided in Annexure A to this notice.

The Board recommends the Ordinary Resolution set out in Item No. 4 of the accompanying Notice for approval by the Members of the Corporation.

Item No 5.

The Government of India vide their notification dated December 01, 2025 has appointed Shri Ramakrishnan Chander as Managing Director of the Corporation, w.e.f., the date of assumption of charge and upto the date of his attaining the age of superannuation (i.e., September 30, 2027), or until further orders, whichever is earlier. Accordingly, Shri Chander took charge as Managing Director of the Corporation on December 01, 2025.

Shri Ramakrishnan Chander joined the Corporation in the year 1990 as an Assistant Administrative Officer. He is a Science graduate and Fellow of Insurance Institute of India. He is also holding Post Graduate Diploma in Financial Management (PGDFM). He has an experience of 35 years both in Marketing and Administration handling positions of Senior Divisional Manager, Regional Manager (Marketing) and Regional Manager (P&GS). He also led Corporation's Strategic Business Unit – International Operations as Executive Director.

Prior to becoming Managing Director, Shri Ramakrishnan Chander was the Executive Director (Investment – Front Office) & Chief Investment Officer of the Corporation.

The terms of appointment of Shri Chander is governed by the Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of Certain Terms and Conditions of Services) Rules, 1988, Life Insurance Corporation General Rules, 1956 and other applicable laws/circular/guidelines issued by the Government of India, from time to time.

In terms of Regulation 17 of the SEBI Listing Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution set out under Item No. 5 of the Notice for taking formal approval of the appointment of Shri Ramakrishnan Chander as Managing Director of the Corporation.

Except Shri Ramakrishnan Chander and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 5. The relevant details of his appointment, in terms of Regulation 36(3) of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard – 2, issued by ICSI is provided in Annexure A to this notice.

The Board recommends the Ordinary Resolution set out in Item No. 5 of the accompanying Notice for approval by the Members of the Corporation.

By Order of the Board
For Life Insurance Corporation of India

Sd/-
Anshul Kumar Singh
Company Secretary & Compliance Officer

Date: April 13, 2026

Place: Mumbai

Central Office:

Life Insurance Corporation of India

'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Nariman point,
Mumbai – 400021

Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com

Website: www.licindia.in

Annexure A

Details under Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Secretarial Standard – 2, in respect of the Director(s) seeking appointment/re-appointment:

Name of Director	Shri Gurumoorthy Mahalingam
Age	69 years
Nationality	Indian
Qualification	M.Sc. (Statistics), MBA
DIN	09660723
Brief Resume	The brief profile forms part of the explanatory statement under Item No. 2 of this Notice.
Expertise in specific functional areas	Banking, Risk Management, Securities Market, Finance & Accounts and Governance
Terms and conditions of re-appointment	Terms and conditions of appointment/re-appointment of Independent Director is available on the website of the Corporation at: https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct
Details of proposed remuneration	Sitting fees as per Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity Policy as approved by the Board of Directors of the Corporation, from time to time, in accordance with applicable laws.
Details of last remuneration drawn	The remuneration comprises of Sitting fees paid during the Financial Year 2025-26: ₹28,20,000
Date on which first appointed on the Board	January 29, 2022
Details of shareholding in the Corporation	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	He is not related to any of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation.
Number of Board meetings attended from April 01 2025 and up to the date of this notice	He has attended 13 (Thirteen) Board meetings held during the period from April 01, 2025 and up to the date of this notice.
Details of Directorships/Committee chairmanship and memberships in other Companies	<p>City Union Bank Limited (Chairperson of the Board)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Credit Committee - Chairperson • Stakeholders Relationship Committee - Member • Risk Management Committee - Member • Committee to review NPA & Suit Accounts - Member • ARC Sale Committee - Member • Committee for Selection of Insurance Partner - Member • Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters Committee - Member • Premises Committee - Member <p>CARE Ratings Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit Committee - Chairperson • Rating Sub-Committee - Chairperson • Nomination and Remuneration Committee - Member • Strategy & Investment Committee - Member

Name of Director	Shri Gurumoorthy Mahalingam
	Central Depository Services (India) Limited <ul style="list-style-type: none"> Investment Committee - Chairperson Member Committee - Chairperson Nomination and Remuneration Committee - Member Audit Committee - Member Regulatory Oversight Committee - Member Thomas Cook (India) Limited <ul style="list-style-type: none"> Audit Committee - Member Stakeholders Relationship Committee - Chairperson India International Bullion Exchange IFSC Limited - NIL DSP Pension Fund Managers Private Limited <ul style="list-style-type: none"> Audit Committee - Chairperson Risk Management Committee - Member
Details of Resignation from Directorship in the past three years (Listed Companies)	Infrastructure Leasing and Financial Services Limited

Name of Director	Dr. V. S. Parthasarathy
Age	63 years
Nationality	Indian
Qualification	B.Com., FCA, Ph.D.
DIN	00125299
Brief Resume	The brief profile forms part of the explanatory statement under Item No. 3 of this Notice.
Expertise in specific functional areas	Finance & Accounts, Risk Management, Business Management and Governance
Terms and conditions of re-appointment	Terms and conditions of appointment/re-appointment of Independent Director is available on the website of the Corporation at: https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct
Details of proposed remuneration	Sitting fees as per Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity Policy as approved by the Board of Directors of the Corporation, from time to time, in accordance with applicable laws.
Details of last remuneration drawn	The remuneration comprises of Sitting fees paid during the Financial Year 2025-26 ₹28,00,000
Date on which first appointed on the Board	January 29, 2022
Details of shareholding in the Corporation	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	He is not related to any of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation.
Number of Board meetings attended from April 01 2025 and up to the date of this notice	He has attended 12 (Twelve) Board meetings held during the period from April 01, 2025 and up to date of this notice.

Name of Director	Dr. V. S. Parthasarathy
Details of Directorships/Committee chairmanship and memberships in other Companies	<p>NIIT Learning Systems Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit Committee – Chairperson • Risk Management Committee – Member • Nomination and Remuneration Committee – Member <p>Pennar Industries Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit Committee- Chairperson <p>Kids Clinic India Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit Committee- Member • Nomination & Remuneration Committee – Chairperson • Risk Management Committee – Member <p>Imperial Auto Industries Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit Committee – Member • Nomination & Remuneration Committee – Member • Corporate Social Responsibility Committee – Member <p>PGP Glass Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risk Management Committee – Chairperson • Audit Committee – Chairperson <p>Girnar Software Private Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit Committee – Chairperson • Nomination & Remuneration Committee – Member <p>Greencell Mobility Private Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit Committee – Chairperson • Nomination & Remuneration Committee – Chairperson • Risk Committee – Member <p>Everenviro Resource Management Private Limited (Chairperson of Board)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit Committee – Member • Leadership Development Inclusion & Compensation Committee – Chairperson • Finance Committee – Chairperson <p>Maple Infra InvIT Investment Manager Private Limited</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit Committee – Chairperson • Nomination & Remuneration Committee – Member <p>RUDI Multi Trading Company Limited - Nil</p> <p>Grassroot Network (GTNFW) a Section 8 company - Nil</p>
Details of Resignation from Directorship in the past three years (Listed Companies)	<p>Allcargo Logistics Limited</p>

Name of Director	Ms. Shalini Pandit
Age	51 years
Nationality	Indian
Qualification	Graduated in Botany and M.Sc. in Wildlife Science
DIN	07780142
Brief Resume	The brief profile forms part of the explanatory statement under Item No. 4 of this Notice.
Expertise in specific functional areas	Governance, Finance, Risk Management and Insurance
Terms and conditions of appointment	As per Government of India's Notification dated December 03, 2025. The other details are available on the website of the Corporation at: https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct
Details of proposed remuneration	Not Applicable
Details of last remuneration drawn	Not Applicable
Date on which first appointed on the Board	December 03, 2025
Details of shareholding in the Corporation	NIL
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	She is not related to any of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation.
Number of Board meetings attended from the date of her appointment from December 03 2025 and upto the date of this notice	She has attended 4 (Four) Board meetings during the period from December 03 2025 and upto the date of this notice.
Details of Directorships/Committee chairmanship and memberships in other Companies	Rourkela Smart City Limited - Nil
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Nil

Name of Director	Shri Ramakrishnan Chander
Age	58 years
Nationality	Indian
Qualification	B.Sc, PGDFM and Fellow of Insurance Institute of India
DIN	11331783
Brief Resume	The brief profile forms part of the explanatory statement under Item No. 5 of this Notice.
Expertise in specific functional areas	Insurance, Marketing, Finance and Governance
Terms and conditions of appointment	As per Government of India's notification dated December 01, 2025. The other details are available on the website of the Corporation at: https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct
Details of proposed remuneration	As per Government of India notification dated December 01, 2025 read with Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of certain Terms and Conditions of Services) Rules, 1988 and other applicable laws/circular/guidelines issued by the Government of India, from time to time.
Details of last remuneration drawn	₹ 4,31,508 per month (Gross Salary)
Date on which first appointed on the Board	December 01, 2025

Name of Director	Shri Ramakrishnan Chander
Details of shareholding in the Corporation	197 shares
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	He is not related to any of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation.
Number of Board meetings attended from December 01 2025 the date of his appointment and upto the date of this notice	He has attended 5 (Five) Board meetings during the period from December 01, 2025 and upto the date of this notice.
Details of Directorships/Committee chairmanship and memberships in other Companies	LIC HFL Care Homes Limited - Nil LIC Cards Services Limited - Nil LIC Mutual Fund Trustee Private Limited - Nil
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Nil